



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्वक्शन” के क्रम में लूट करने के आरोपी राजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



ए.पी.ओ. श्रीमती विमलेश

अवगत कराना है कि वर्ष 2006 में अभियुक्त राजीव पुत्र गिरवर निवासी ग्राम मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 05/2006 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 13/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे । इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.11.2025 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजीव को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 05 माह के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



का0 सुनील कुमार थाना बिनौली कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्वक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक--24.11.25

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 05 मोटरसाईकिल व उनके पार्ट तथा घटना में प्रयुक्त गाडी TATA ACE बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है । जिसके कब्जे से 05 चोरी की मोटरसाईकिल व उनके पार्ट तथा घटना में प्रयुक्त TATA ACE नं0 DL



1LH 6386 बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त उक्त मोटरसाईकिल व पार्ट को गाडी में भरकर ले जा रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी म0नं0 418 अलीपुर नियर बैंक कालौनी गली थाना अलीपुर नार्थ वेस्ट दिल्ली 110036 उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 05 मोटरसाईकिल व उनके पार्ट ।

घटना में प्रयुक्त TATA ACE नं0 DL 1LH 6386

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली ।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली ।

3-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 24.11.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 378/25 धारा 333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तलवार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.11.2025 को थाना बिनौली आवेदक श्री गौरव पुत्र इलमचन्द निवासी कस्बा बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नितिन उर्फ बोबी पुत्र नरेश निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर तलवार दिखाकर वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा मौके से भाग गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 378/25 धारा 333/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त तलवार की बरामदगी के संबंध में धारा 4/25 आयुध अधि0 की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 378/25 धारा 333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन उर्फ बोबी पुत्र नरेश निवासी करबा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-----

- घटना में प्रयुक्त एक तलवार ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि.श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत ।
- 2.है0का0 720 यशपाल सिंह थाना बिनौली ।
- 3.का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली ।



दिनांक 24.11.25

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 74/75/79 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 74/75/79 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नितिन पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब 38 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- म0उ0नि0 सुश्री दीपिका थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- का0 912 सूरज सिकरवार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 24.11.2025

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 759/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(5a) एससीएसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल चुन्नी को किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23-11-2025 को थाना बडौत पर वादी अनूज कुमार पुत्र कृष्ण मेहर निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अभियुक्त अभिषेक उर्फ मोनू शर्मा पुत्र ऋषिराम निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की सास सत्तो देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। इस संबन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 - 759/2025 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(5a) एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 759/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(5a) एससीएसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चुन्नी को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभिषेक उर्फ मोनू शर्मा पुत्र ऋषिराम निवासी ग्राम पट्टी मोल्हू बावली थाना बडौत बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चुन्नी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि० श्री मधुर श्याम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 812 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

